न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 04 / 2023
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2023 / 139

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
1. हरिराम पुत्र श्री वरिंगाराम जाति विश्नोई निवासी दाता तहसील–सांचौर जिला–जालोर	1. पाबुराम पुत्र श्री आदुराम के कायम मुकामः– अ. केसी पत्नी पाबुराम। ब. पवन पुत्री पाबुराम। स. जयकिशन पुत्र पाबुराम जातियान विश्नोई निवासीगण दाता तहसील सांचौर जिला–जालोर। 2. तहसीलदार सांचौर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजू :– 27.04.2015

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–30.01.2026

1. प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि मुझ प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाकाश्त कृषि भूमि ग्राम दाता, पटवार हल्का नानोल, तहसील सांचौर में स्थित है। प्रार्थी काश्तकार है तथा खेती कर परिवार का भरण–पोषण करता है। प्रार्थी का खातेदारी खेत ग्राम दाता के खसरा नम्बर 12 रकबा 1.47 हैक्टर किस्म बारानी दोयम है, जिसमें प्रार्थी का रहवासी मकान स्थित है एवं वर्षों से खेती–बाड़ी करता आ रहा है। प्रार्थी के खेत व रहवासी ढाणी में आवागमन हेतु अत्यावश्यक रास्ता है। वर्तमान में प्रार्थी के खेत तक आवागमन अप्रार्थी के खातेदारी खेत ग्राम दाता के खसरा नम्बर 13 रकबा 0.74 हैक्टर से होकर किया जा रहा है, जो सबसे निकटतम व एकमात्र रास्ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 12 में आवागमन हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 13 में से नजरी नक्शा अनुसार 0.01 हैक्टर भूमि पर 5 मीटर चौड़ा रास्ता, प्रार्थी के खेत से लगाकर सांचौर–रानीवाड़ा सड़क तक निर्धारित किए जाने की मांग करता है। रास्ता न होने के कारण खेती, निवास, आवश्यक सामग्री व कृषि उपकरणों के आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता उपयोग से मना किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आवेदित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता सुविधा के रूप में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

करने तथा अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते पर किसी प्रकार की बाधा या निर्माण न करने के आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– प्रार्थी द्वारा ग्राम दाता के खसरा नं. 12 से रास्ते की मांग गलत है। उक्त भूमि पूर्व से धूकला/वरिंगा पुत्र लाखा के नाम खातेदारी रही है। प्रार्थी का रहवासीय मकान व खातेदारी भूमि दोनों पक्की सड़कों (सांचौर व दाता मार्ग) से लगी हुई है तथा रोड के दोनों ओर प्रार्थी की भूमि उपलब्ध है, अतः उसे किसी अन्य की खातेदारी से रास्ते का अधिकार नहीं है। धारा 251 ए आर.टी. एक्ट तभी लागू होती है जब अन्य कोई रास्ता उपलब्ध न हो, जबकि प्रार्थी के पास अपने पुश्तैनी व विभाजन से प्राप्त रास्ते उपलब्ध हैं। बंटवारे में रास्ता जोड़ने का स्पष्ट कानूनी प्रावधान है; यदि ऐसा न हुआ हो तो बंटवारे को चुनौती देकर ही रास्ता प्राप्त किया जा सकता है, न कि पड़ोसी की भूमि से। प्रार्थना पत्र के अवतरण सं. 2 व 3 तथ्यहीन व गलत हैं। प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी (खसरा नं. 8) से आवागमन होता रहा है। रहवासीय मकान पुराने खसरा नं. 16 (नया ख. नं. 34) में है, जो दोनों सड़कों से लगा है। नयी–पुरानी जमाबंदी व मिलान से भी सिद्ध है कि प्रार्थी की खातेदारी के मध्य सड़क मौजूद है। अतः प्रार्थी अन्यत्र उपलब्ध रास्ते होते हुए अप्रार्थीगण की खातेदारी से रास्ता मांगने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे तथा उपलब्ध आवागमन मार्ग की रिपोर्ट मंगवाई जावे।

4. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाकाश्त कृषि भूमि ग्राम दाता, पटवार हल्का नानोल, तहसील सांचौर में स्थित खसरा नम्बर 12 रकबा 1.47 हैक्टर है, जिसमें प्रार्थी का रहवासी मकान है तथा वह वर्षों से खेती कर रहा है। प्रार्थी काश्तकार है एवं कृषि पर निर्भर होकर परिवार का भरण–पोषण करता है। प्रार्थी के खेत व ढाणी तक आवागमन हेतु अत्यावश्यक रास्ता है, जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 13 रकबा 0.74 हैक्टर से होकर जाता है तथा यही निकटतम व एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 12 से सांचौर–रानीवाड़ा सड़क तक अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 13 में से नजरी नक्शा अनुसार 0.01 हैक्टर भूमि पर 5 मीटर चौड़ा रास्ता निर्धारित किए जाने की मांग करता है। रास्ता न होने से खेती, निवास एवं आवश्यक सामग्री के आवागमन में गंभीर कठिनाई हो रही है तथा अप्रार्थीगण रास्ता उपयोग से मना कर रहे हैं। अतः प्रार्थना है कि आवेदित भूमि को रास्ता सुविधा के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की बाधा या निर्माण से रोका जाए।

5. अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम दाता के खसरा नं. 12 से रास्ते की मांग गलत व असंगत है। प्रार्थी का आवासीय मकान व खातेदारी भूमि दोनों सांचौर व दाता की पक्की सड़कों से लगी हुई है तथा दोनों ओर उसकी भूमि उपलब्ध है, इसलिए उसे किसी अन्य की खातेदारी से रास्ता मांगने का अधिकार नहीं है। धारा 251–ए आर.टी. एक्ट केवल तब लागू होती है जब कोई अन्य रास्ता उपलब्ध न हो, जबकि प्रार्थी के पास पुश्तैनी व

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी

बंटवारे से प्राप्त रास्ते मौजूद हैं। बंटवारे में रास्ता जोड़ने का कानूनी प्रावधान है, जिसका अभाव होने पर बंटवारे को ही चुनौती दी जा सकती है, न कि पड़ोसी की भूमि से रास्ता लिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र के अवतरण सं. 2 व 3 तथ्यहीन हैं। प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी (खसरा नं. 8) से आवागमन होता रहा है तथा उसका मकान पुराने खसरा नं. 16 (नया 34) में स्थित होकर दोनों सड़कों से जुड़ा है। नई–पुरानी जमाबंदी से भी खातेदारी के बीच सड़क का अस्तित्व सिद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे एवं उपलब्ध रास्ते की रिपोर्ट मंगवाई जावे।

6. हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात् का अध्ययन एवं अवलोकन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' में निम्नलिखित कानूनी प्रावधान है :–

251'क' :– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना विद्यमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति , उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है।

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है किः–

(i) यह आवश्यकता अत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है :–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है द्वारा सीमाकिंत या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फीट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है दर्शाया जाये, भूमि में से होकर यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो 30 फीट से अनाधिक तक विस्तारित चौड़ा करने के लिये, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने का नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाये पर जो विहित रिती से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाऐगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

(3) वे व्यक्ति जिनको उपधारा (1)में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा जब खातेदार को रास्ते की अत्यधिक आवष्यकता है तथा साथ ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो, तब नया मार्ग स्वीकृत किया जायेगा।

7. प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत खसरा नम्बर 12 रकबा 1.47 हैक्टर में पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा एवं तहसीलदार सांचौर के पत्रांक/भू.अ./न्या.जांच/2025/4538 दिनांक 30.10.2025 द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट एव भू अभिलेख निरीक्षण पांचला की मौका फर्द दिनांक 03.07.2024 अनुसार अनुसार मार्क ए से बी खसरा नम्बर 13 में से मांग की गई है। उक्त मांगा गया रास्ता नजदीक है। खसरा नम्बर 13 के अलावा खसरा नम्बर 269/1250 भी अप्रार्थी की खातेदारी में है जो वाद में अंकित नहीं है। प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खसरा नं 12 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 13 एवं 269/1250 में से 05 मीटर चौड़ाई अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी के खसरा नं. 12 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या खसरा संख्या 13 एवं 269/1250 में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा दाता पटवार हल्का नानोल के खसरा नंबर 12 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 13 एवं 269/1250 में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एव मौका फर्द अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:– आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 **ए** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 70 एक व दो के अनुसार वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारण प्रतिकार राशि प्रार्थी से प्राप्त कर खसरा संख्या 13 एवं 269/1250 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि का भुगतान करावे। प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। अप्रार्थीगण खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **30.01.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)